# न्यायालय–गिरीश कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)

## (निर्णय दिनांक 19 / 10 / 2022)

प्रकरण संख्या–आर.सी.टी. / 275 / 2022

फाईलिंग संख्या–आर.सी.टी. / 905 / 2022

सी.एन.आर. नंबर–MP1305–001150–2022

संस्थित दिनांक–17.10.2022

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट / अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

———————————————————————————————

आरक्षी केन्द्र खाचरौद तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) के अपराध कमांक–368 / 2022 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3 / 181, 146 / 196 से उद्भूत प्रकरण।

———————————————————————————————

| | |
|---|---|
| परिवादी | मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी, आरक्षी केन्द्र खाचरौद, तहसील खाचरौद जिला उज्जैन (म.प्र.) |
| प्रतिनिधित्व द्वारा | सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुनील परमार |
| अभियुक्त | ईश्वर पिता पन्नालाल बलई, उम्र 28 वर्ष, निवासी–ग्राम चापानेर, खाचरौद जिला उज्जैन (म.प्र.) |
| प्रतिनिधित्व द्वारा | अधिवक्ता श्री सौरभ सुराणा। |

## प्रकरण का सारणीबद्ध विवरण

## (प्रारूप–ड)

| | |
|---|---|
| अपराध की तारीख | 18-06-2022 |
| प्रथम सूचना रिर्पोट की तारीख | 18-06-2022 |
| आरोप पत्र की तारीख | 17-10-2022 |
| आरोपों की विरचना की तारीख | 17-10-2022 |
| साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख | 19-10-2022 |
| निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख | 19-10-2022 |
| निर्णय की तारीख | 19-10-2022 |
| दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख | कुछ नहीं। |

## –अभियुक्त का विवरण–

| अभियुक्त की श्रेणी | अभियुक्त का नाम | गिरफ्तारी की तारीख | जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख | अपराध जिनका आरोप है | दोषमुक्ति या दोषसिद्धि | अधिरोपित दण्डादेश | धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ईश्वर | कुछ नहीं। | कुछ नहीं। | धारा 279 भा.द.वि. एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा 3/181 तथा 146/196 | दोषमुक्ति | कुछ नहीं। | कुछ नहीं। |

## //नि र्ण य//

01– अभियुक्त पर दिनांक 18.06.2022 को 15:00 से 16:00 बजे के बीच या उसके लगभग मोकडी रोड पेट्रोल पंप के सामने ग्राम चापाखेडी में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक–एमपी 13 डीएस 7206 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने एवं उक्त वाहन को बिना ड्रायविंग लायसेंस व बिना बीमा के चलाने के लिए क्रमशः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों का अभियोग है।

02– अभियोजन द्वारा व्यक्त मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी नानूराम निवासी ग्राम चापानेर, खेती करता है। दिनांक 18.06.2022 को फरियादी ठिकारिया रिश्तेदारी में कार्यक्रम में गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह उसके लडके रणजीत के साले धनश्याम के साथ उसकी मोटरसाईकिल से वापस घर जा रहे था। मोटरसाईकिल धनश्याम चला रहा था तथा वह पीछे बैठा था। दिन केकरीब 3–4 बजे की बात होगी, जैसे ही वे ग्राम चापाखेड पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे कि सामने से एक मोटरसाईकिल चालक ईश्वरलाल निासी चापानेर उसकी मोटरसाईकिल को तेजगति व लापरवहीपूर्वक चलाकर लाया और उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे दोनों मोटरसाईकिल सहित नीचे गिर

गये। टक्कर से उसे दोनों पैरों में चोट लगकर खून निकल आया तथा धनश्याम को ई चोट नहीं लगी। फिर फरियादी ने उसके भांजे मदनलाल पिता भेरूलाल को फोन लगाया तो वह लोग आये और उसे इलाज हेतु सरकारी अस्पताल खाचरौद लेकर आये। जहां उसका इलाज हुआ। फिर भानेज मदनलाल व बडे भाई मोहनलाल के साथ रिपोर्ट करने थाने आया। फरियादी द्वारा आरक्षी केन्द्र खाचरौद पर घटना की सूचना दी गयी जिस अपराध क–368/2022 पर धारा 279, 337 भादवि में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी। अनुसंधान के दौरान घ ाटना स्थल का मानचित्र बनाया। आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया। संबंधित साक्षियों के कथन लेख किए। अनुसंधान के दौरान संकलित साक्ष्य पर प्रकरण में धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196, 3/181 का इजाफा किया गया। संपत्ति जप्त कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03– प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि पूर्व स्तर पर आहत नानूराम द्वारा किये गये अपराध के शमन के आधार पर अभियुक्त को धारा 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों से दोषमुक्त किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196, 3/181 का अपराध अशमनीय अपराध होने से उसमें विचारण अग्रेषित किया गया। अभियुक्त ने अपने अभिवाक में निर्दोष होना एवं झूठा फंसाना व्यक्त किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

04– **न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्न है :–**

1– क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.06.2022 को 15:00 से 16:00 बजे के बीच या उसके लगभग मोकडी रोड पेट्रोल पंप के सामने ग्राम चापाखेडी में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल कमांक–एमपी 13 डीएस 7206 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

2– क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना ड्रायविंग लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया?

# ।। आधार एवं निष्कर्ष ।।

**अवधारणीय प्रश्न कमांक 01 व 02 के संबंध मेंः–**

उपरोक्त अवधारीण प्रश्नों की साक्ष्यजन्य आश्रितता को देखते हुए उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

05– नागुराम (अ.सा.–1) ने मुख्यपरीक्षण में आरोपी को पहचानना बताते हुए उसके द्वारा प्रश्नगत अपराध कारित करने संबंधी कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है बल्कि ग्राम चापानेर में पेट्रोल पंप के पास, बडावदा तरफ से आते समय अपनी मोटरसाईकिल फिसल जाने से स्वयं को चोट आना व्यक्त किया है तथा घटना के संबंध में पुलिस द्वारा कोई पूछताछ नहीं करना और पुलिस द्वारा कोई बयान नहीं लिया जाना बताया है।

06– नागुराम (अ.सा.–1) द्वारा अभियोजन का समर्थन ना किये जाने पर अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछने पर उसने सारतः एमपी 13 डीएस 7207 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर स्वयं को टक्कर मारने संबंधी अभियोजन अधिकारी के सुझाव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है तथा आरोपी को बचाने के लिए असत्य कथना अस्वीकार किया है।

07– नागुराम (अ.सा.–1) ने मुख्यपरीक्षण में प्रदर्श पी–1 पर स्वंय के हस्ताक्षर होना तो बताये हैं किंतु प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया है कि प्रदर्श पी–1 पर उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे और प्रदर्श पी–1 उसे पढकर नहीं सुनायी गयी थी।

08– अभियोजन कथानुसार आहत नागुराम के साथ एक और अन्य व्यक्ति धनश्याम होना बताया गया है किंतु एक ओर तो अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी का दिये गये पते पर ना मिलना व्यक्त किया गया है वहीं नागुराम द्वारा भी अपनी अभिसाक्ष्य में स्वयं के साथ घनश्याम का नहीं होना बताया है एवं पूर्व स्तर पर आहत नागुराम (अ.सा.–1) द्वारा धारा 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का शमन कर लिये जाने एवं उसकी अभिलेख पर आई उक्त साक्ष्य को देखते हुए अभियोजन अधिकारी ने अन्य कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है।

09– अतः अभिलेख पर उपलब्ध उक्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 व मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं

146/196 के अपराध कारित किये जाने संबंधी कोई सारभूत प्रभावी तथ्य अभिलेख पर प्रमाणित न होने से प्रश्नगत अपराधों के सबंध में अभियुक्त का दायित्व स्थापित नहीं होता है।

## //निष्कर्ष//

10– फलतः उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध दोषारोपों को सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है। फलतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 व मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के अपराधों से दोषमुक्त कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

11– प्रकरण में जप्तशुदा वाहन कमांक–एम.पी.–13–डी.एस.–7206यदि अंतरिम सुपुर्दगी पर हो तो सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में उन्मोचित समझा जावे और यदि उक्त वाहन सुपुर्दगी पर न हो तो उक्त वाहन उसके स्वामी को प्रदान कर दिया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

मेरे निर्देशन पर टंकित

दिनांक–19/10/2022
स्थान–खाचरौद

**सही/–**
**गिरीश कुमार शर्मा**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खाचरौद जिला उज्जैन (म.प्र.)

## परिशिष्ट

### (प्रारूप च)

### अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

**क. अभियोजन साक्षी–**

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| अ.सा.1 | नागुराम | सूचनाकर्ता एवं घटना का साक्षी |

**ख. प्रतिरक्षा साक्षी–**

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी) |
| | कोई नहीं। | |

**ग. न्यायालयीन साक्षी–**

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| | कोई नहीं। | |

## अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

**क. अभियोजन–**

| संख्या क. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श पी–1/अ.सा.1 | प्रथम सूचना रिपोर्ट |
| 2 | प्रदर्श पी–2/अ.सा.1 | घटना स्थल का मानचित्र |
| 3 | प्रदर्श पी–3/अ.सा.1 | साक्षी नागुराम के धारा 161 द.प्र.सं. के कथन |

**ख. प्रतिरक्षा –**

| संख्या क. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| | कुछ नहीं। | – |

**ग. न्यायालयीन प्रदर्श–**

| संख्या क. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| | कुछ नहीं। | – |

**घ. आवश्यक वस्तुएं–**

| संख्या क. | भौतिक सामग्री संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| | कुछ नहीं। | – |

दिनांक– 19/10/2022
स्थान – खाचरौद

**सही/–**
**गिरीश कुमार शर्मा**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खाचरौद जिला–उज्जैन (म.प्र.)

Girish Sharma
Digitally signed by Girish Sharma
Date: 2022.10.19 17:30:58 +0530